

## बिल का सारांश

### रिपीलिंग और संशोधन (दूसरा) बिल, 2017

- विधि और न्याय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने 11 अगस्त, 2017 को लोकसभा में रिपीलिंग और संशोधन (दूसरा) बिल, 2017 पेश किया।
- **कुछ कानूनों को रद्द करना** : बिल 131 कानूनों को रद्द करता है। इनमें से 38 कानून संशोधन एक्ट्स हैं जहां इन कानूनों द्वारा किए गए परिवर्तनों को पहले ही संबंधित मूल एक्ट्स में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त रद्द किए जाने वाले एक्ट्स में 30 एक्ट्स ऐसे हैं जिन्हें 1947 से पहले पारित किया गया था।
- **कुछ कानूनों में संशोधन** : बिल तीन एक्ट्स के कुछ प्रावधानों को हटाता करता है और ड्राफ्टिंग की त्रुटियों में सुधार करता है। ये एक्ट हैं : (i) बागान श्रमिक एक्ट, 1951, (ii) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) एक्ट 2015, और (iii) विकलांग व्यक्ति के अधिकार एक्ट, 2016।

**अस्वीकरण:** प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।